बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

Bihar State Power Transmission Company Limited

(निबंधित कार्यालयः–विद्युत भवन, बेली रोड, पटना)

(Regd. Office: Vidyut Bhawan, Bailey Road, Patna)

TINVAT NO-10011255025 CIN-U40102BR2012SGC018495

Contact No.: 7763817975,7763818077, Website:www.bsptcl.bih.nic.in

DEPARTMENT OF HR & ADMINISTRATION

संकल्प सं0– 2301 पटना, दिनांक– 09/09/2024

T-II/PF/JEE-111/2019

मो0 हसन फराज कनीय विद्युत अभियंता, लाईन अनुरक्षण, संचरण प्रमंडल, मोहनिया की नियुक्ति BSPHCL के विज्ञापन संख्या–04/2016 के द्वारा दिनांक–16.01.2017 को हुई तथा BSPGCL की अधिसूचना सं0–217 दिनांक–06.02.2017 के आलोक में मो0 फराज को BTPS, बेगूसराय में पदस्थापित किया गया। BSPHCL के पत्रांक–911 दिनांक–08.03.2021 द्वारा इनका स्थानांतरण संचरण कंपनी में किया गया। तत्पश्चात् BSPTCL की अधिसूचना सं0–1341 दिनांक–25.04.2019 द्वारा उन्हें कनीय विद्युत अभियंता (लाईन अनुरक्षण), संचरण प्रमंडल, मोहनिया में पदस्थापित किया गया। उनके द्वारा दिनांक–26.04.2019 को संचरण प्रमंडल, मोहनिया में कनीय विद्युत अभियंता (लाईन अनुरक्षण) का पदभार ग्रहण किया गया।

विद्युत कार्यपालक अभियंता, संचरण प्रमंडल, मोहनिया ने पत्रांक–313 दिनांक–01.09.2021 द्वारा सूचित किया कि मो0 हसन फराज, कनीय विद्युत अभियंता दिनांक–10.08.2019 चिकित्सा अवकाश पर चले गए। तत्पश्चात् उनके द्वारा न तो अवकाश विस्तार आवेदन दिया गया और न ही अपने कर्तव्य पर योगदान दिया गया। विद्युत अधीक्षण अभियंता, संचरण अंचल, भोजपुर ने पत्रांक–14 दिनांक–05.02.2020 के द्वारा उन्हें कार्य पर उपस्थित होने को कहा गया, किन्तु उनके द्वारा अपने कर्तव्य पर योगदान नहीं किया गया।

इस संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक–1844 दिनांक–08.10.2021 द्वारा लगातार कार्य से अनुपस्थित रहने के संबंध में स्पष्टीकरण पूछा गया। इसे उनके स्थायी पते पर निबंधित डाक से तथा Email से भेजा गया, परन्तु इनके द्वारा कोई जवाब समर्पित नहीं किया गया। तदालोक में दैनिक समाचार पत्र दिनांक–07.11.2021 के माध्यम से मो0 हसन को निदेशित किया गया की वे 15 दिनों के अन्दर अपने कर्तव्य स्थल पर योगदान समर्पित करें, परन्तु समाचार पत्र में सूचना प्रकाशन के उपरांत भी मो0 हसन के द्वारा अपना योगदान समर्पित नहीं किया गया और न ही कार्यालय से सम्पर्क स्थापित किया गया।

मो0 हसन फराज को लगातार कर्त्तव्य से अनुपस्थिति के परिपेक्ष्य में मो0 फराज के विरूद्ध संकल्प सं0–1927 दिनांक–02.08.2023 द्वारा अनाधिकृत अनुपस्थिति के लिए बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 एवं BSEB Regulation 1976 के सुसंगत प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने के कारण बिहार सरकारी सेवक आरोप पत्र गठन नियमावली 2017 के आलोक में आरोप गठित कर विभागीय कार्यवाही संचालित की गई तथा श्री कृष्णानंद झा, मुख्य अभियंता (सेवा निवृत्त) को जाँच पदाधिकारी नियुक्त किया गया। विभागीय कार्यवाही में आरोपी पदाधिकारी को अपना लिखित बयान 15 (पन्द्रह) दिनों के भीतर समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया।

जाँच पदाधिकारी ने अपने पत्रांक–72/EO/SB दिनांक–10.10.2023 द्वारा सूचित किया कि, आरोपी को उनके स्थाई पते एवं मेल के माध्यम से कई बार सूचित करने के बावजूद भी संचालित विभागीय कार्यवाही में उपस्थित नहीं हुए, और न ही उन्होनें अपना लिखित ब्यान समर्पित किया। आरोपी पदाधिकारी के असहयोगात्मक रवैये के कारण जाँच पदाधिकारी द्वारा एकपक्षीय जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें उनके विरूद्ध गठित आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

क्र0पृ0उ0

जाँच पदाधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री हसन से संकल्प सं0–58 दिनांक–08.01.2024 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गयी, जिसे निबंधित डाक से उनके स्थायी पते पर एवं Email से भेजा गया। डाक विभाग द्वारा उक्त निबंधित पत्र को वापस लौटा दिया गया। सारांशतः श्री हसन ने द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब इस कार्यालय को समर्पित नहीं किया।

अन्ततः जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों की पूर्ण समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत सक्षम प्राधिकार द्वारा मो0 हसन फराज, कनीय विद्युत अभियंता, लाईन अनुरक्षण, संचरण प्रमंडल, मोहनिया (दिनांक–10.08.2019 से कर्तव्य पर लगातार अनुपस्थित) को पूर्ववर्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की सेवा नियमावली, 1976 के कंडिका–73 (VI), **बिहार सेवा संहिता के नियम–76 एवं बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के अंतर्गत नियम 14 (X) के तहत मो0 फराज को अनाधिकृत रूप से कर्तव्य से पाँच वर्ष से अधिक की अनुपस्थिति के फलस्वरूप दिनांक–10.08.2019 के प्रभाव से "सेवाच्युति, जो सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी";** (removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the Government) की शास्ति अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

तदनुसार, मो0 हसन फराज को दिनांक–10.08.2019 के प्रभाव से "सेवाच्युति, जो सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी";की शास्ति प्रदान की जाती है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि, इस आदेश की प्रति मो0 हसन फराज, तदेन कनीय विद्युत अभियंता, पत्राचार का पताः–पिता–मो0 शकील अहमद, नियर एस0एन0एम0 स्कूल, पो0–हिन्दुपुरा खेरा दिपासरा, थाना–सम्भल, जिला–सम्भल, (उत्तर प्रदेश,) पिन–244302 को हस्तगत करा दी जाए।

आदेशानुसार

ह0/–
(शशिकान्त कुमार)
अवर सचिव

ज्ञापांक–.................................. दिनांक–..................................

निबंधित Email

प्रतिलिपिः– मो0 हसन फराज, पिता–मो0 शकील अहमद, नियर एस0एन0एम0 स्कूल, पो0– हिन्दुपुरा खेरा दिपासरा, थाना–सम्भल, जिला–सम्भल, उत्तर प्रदेश, पिन–244302 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
(शशिकान्त कुमार)
अवर सचिव

ज्ञापांक–.................................. दिनांक–..................................

प्रतिलिपिः–अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी/प्रधान आप्त सचिव, BSPHCL/ प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
(शशिकान्त कुमार)
अवर सचिव

ज्ञापांक–2302 दिनांक–09/09/2024

प्रतिलिपिः–निदेशक(परिचालन)/निदेशक(परियोजना)/महाप्रबंधक(मा0सं0/प्रशा0)/BSP(H)CL/BSPTCL/SBPDCL/NBPDCL/BSPGCL/ महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता, संचरण जोन, मुजफ्फरपुर/विद्युत अधीक्षण अभियंता, संचरण अंचल, भोजपुर/विद्युत कार्यपालक अभियंता, संचरण प्रमंडल, मोहनिया/डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर/सभी उप सचिव/सभी लेखा पदाधिकारी/सभी अवर सचिव एवं लेखा पदाधिकारी (स्थापना), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09/9/24
(शशिकान्त कुमार)
अवर सचिव